RCMS 2024/240

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

अर्जुनलाल बनाम लालचन्द वगै0

मुकदमा नम्बर :– 119 / 2024 वाद पत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	18.11.2024	वकील वादीया ने वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है। धारा 80(2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 28.11.2024 को पेश हो।	
	28/11/24	व. वादी – उप0। पत्रावली बख्तावर तलबी में रहकर आगामी दिनांक 27/12/24 को पेश हो।	
	27/12/24	वकील [illegible] / कार्य स्थगित [illegible] से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 27/1/25 को पेश हो।	
	27/1/25	पत्रावली पेश हुई। न्यायालय में समय समाप्त होने तक वकील वादी को बार बार आवाज दिलायी गयी। वकील वादी अदालत व वकालत अनुपस्थित है अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही अग्रिम पैरवी में स्थगित की जाती है पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)